

## अमृत सागर तालाब के संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, सौन्दर्यीकरण की शीघ्र होगी डीपीआर तैयार

9 स्क्वेयर आर्किटेक्ट दल ने निगम आयुक्त श्री झारिया के साथ किया स्थल का निरीक्षण

रतलाम 15 नवम्बर। अमृत सागर तालाब के संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, सौन्दर्यीकरण की डीपीआर तैयार किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ इंदौर के 9 स्क्वेयर आर्किटेक्ट दल ने स्थल का निरीक्षण किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने 9 स्क्वेयर आर्किटेक्ट दल के श्रीमती श्रुति व्यास, सचिन चतुर्वेदी, रिमझिम, बिड्स पिलानी के राजीव गुप्ता को अमृत सागर तालाब के संपूर्ण क्षेत्र का निरीक्षण कराया। अमृत सागर तालाब का दल द्वारा किये गये सर्वे के तहत योजना में तालाब संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन व सौन्दर्यीकरण की डीपीआर तैयार की जायेगी।

निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि तालाब में लगभग 10 हजार परिवारों का पानी आता है, तालाब में पानी छनकर व साफ होकर आये इस हेतु दो नालों पर वेटलैण्ड का निर्माण कराया जाना है तथा एक नाले को डायवर्ट किया जाना है।

इसके अलावा गढ़ कैलाश मंदिर क्षेत्र में रैलिंग, तालाब के पाल की स्टोन पिचिंग, बाउण्ड्रीवॉल, पाथवे, सड़क, बोटिंग प्लेटफार्म, लाईटिंग, टीन टायलेट ब्लॉक, दुकाने, ऑफिस, गजीबो गेट, टिकट काउन्टर आदि का निर्माण कराया जाकर अमृत सागर तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है।

निरीक्षण के दौरान प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री अरविन्द दशोत्तर, प्रभारी सहायक यंत्री श्री अनवर कुरेशी, झोन प्रभारी श्री विनय चौहान आदि उपस्थित थे।

## स्वच्छता भक्ति या देवत्व के मार्ग की ओर ले जाती है

स्वच्छ सर्वेक्षण—2022 के तहत डोर टू डोर कचरा निपटान के तरीके समझाए गए, शहर के अनेक देवस्थानों पर आकर्षक रांगोली के माध्यम से दिया स्वच्छता का संदेश

रतलाम 15 नवम्बर। स्वच्छता तिथे देवत्व अर्थात् जहाँ स्वच्छता होती है, देवता भी वहीं वास करते हैं। स्वच्छता भक्ति या देवत्व के मार्ग की ओर ले जाती है। पर्याप्त स्वच्छता के माध्यम से हम स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ रख सकते हैं, जो हमें वास्तव में अच्छा, सभ्य और स्वस्थ मनुष्य बनाती है। स्वच्छता शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई की भावना लाती है और अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने में मदद करती है।

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सोमवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत आयोजित विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के दौरान व्यक्त किए। इस मौके पर सफाई मित्र समूह ने शहर के एक दर्जन से ज्यादा देवस्थान परिसर पर रांगोलियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश भी दिया। वहीं कई क्षेत्रों में डोर टू डोर लोगों से सम्पर्क कर उन्हें कचरे निपटान के सही तरीकों से अवगत कराया।

इस मौके पर श्री झारिया ने कहा कि स्वच्छता देवत्व के समान है। जहाँ स्वच्छता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ गंदगी है वहाँ पर देवत्व नहीं हो सकता है।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता एवं पवित्रता एक—दूसरे से जुड़े हैं। स्वच्छता पवित्रता का व्यावहारिक एवं भौतिक रूप है। पवित्रता स्वच्छता का आदर्शात्मक एवं आध्यात्मिक रूप है।

श्री झारिया ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि साफ—सफाई देशभक्ति के समान है। यह जीवन के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति को अपनी—अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। भारतीय दार्शनिकों ने ने भी स्वच्छता पर जोर दिया है।

उन्होंने नागरिकों से आव्हान किया है कि घर और दुकानों से निकले कचरे का निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग-अलग हिस्सों में ही करें। स्वच्छता के प्रति नागरिकों की जागरूकता जरुरी है तभी हम अपने शहर को देश में स्वच्छता के मामले में नम्बर-1 बना पाएंगे।

इस अवसर पर स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल, झोन अधिकारी एपीसिंह, किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान सहित सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

शहर के अनेक देवस्थानों पर आकर्षक रांगोली के माध्यम से दिया स्वच्छता का संदेश

## मुख्य मार्गों से अवैध अस्थाई अतिक्रमण हटाया

### 12 गुमटियाँ व अन्य सामग्री जब्त

रत्नाम 15 नवम्बर। शहर के मुख्य मार्गों, फुटपाथ आदि पर गुमटियाँ, ठेले, अन्य सामग्री रखकर अतिक्रमण करने वालों पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 15 नवम्बर सोमवार को अतिक्रमण दल ने कार्यवाही करते हुए 12 गुमटियाँ व अन्य सामग्री जब्त की।

अतिक्रमण दल द्वारा पावर हाउस रोड, लोकेन्द्र भवन रोड, डाट की पुल रोड, मित्र निवास रोड, अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड रोड पर अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जिसके तहत 12 अवैध अस्थाई गुमटियाँ हटाकर जब्त की गई इसके अलावा रेडिमेड गारमेंट की दुकानों के सामने रखे पुतले सहित अन्य सामग्री जब्त की गई। लोकेन्द्र भवन रोड से 12 कपड़े वालों व 2 मूर्ति वालों हटाया गया। नगर निगम द्वारा यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

### स्पॉट फाईन दल के कर्मचारियों का नवम्बर माह का वेतन रोका दल के कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त

रत्नाम 15 नवम्बर। खुले में कचरा डालकर गंदगी करने वाले नागरिकों व दुकानदारों पर स्पॉट फाईन किये जाने की कार्यवाही में स्पॉट फाईन दल द्वारा निरंतर कार्य में लापरवाही बरतने व प्रतिदिन तय लक्ष्य के अनुसार स्पॉट फाईन नहीं करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार दल के समस्त कर्मचारियों का माह नवम्बर 2021 का वेतन रोका जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

खुले में गंदगी करने वाले नागरिकों व दुकानदारों पर स्पॉट फाईन दल को प्रतिदिन 500 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन किये जाने का लक्ष्य दिया गया है किन्तु दल के कर्मचारियों द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जाकर स्पॉट फाईन की कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस हेतु दल के कर्मचारियों को कई बार नोटिस भी दिया गया साथ ही वेतन भी काटा गया फिर भी इनके कार्य में कोई सुधार नहीं पाया जा रहा है। शहर में दुकानों, घरों के सामने व खुले स्थानों पर कचरे एवं गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं इस हेतु स्पॉट फाईन दल के कर्मचारी विराट मेहरा, राकेश लालावत, पवन झांझोट, आकाश शिंदे, मनोज झांझोट माह नवम्बर 2021 का वेतन रोका जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

## 4276 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें वार्डवार केन्द्रों व घर-घर जाकर किया जा रहा है सत्यापन

रतलाम 15 नवम्बर। रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व वार्डवार बनाये गये केन्द्रों पर किया जा रहा है जिसके तहत 15 नवम्बर सोमवार तक 4276 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज बीपीएल राशन कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाते की पास बुक, निवासी, जन्म, आयु, चिकित्सक, निःशक्तता, आयकर दाता ना हो, पति की मृत्यु का प्रमाण—पत्र, अंक सूची, मतदाता सूची, मतदाता परिचय—पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत जारी जाब कार्ड, उपलब्ध कराकर या वार्डवार बनाये केन्द्र वार्ड 1 अम्बेडकर मांगलिक भवन गांधी नगर, वार्ड 2 रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा, वार्ड 3 राठौड़ समाज धर्मशाला, वार्ड 4 महर्षी दयानन्द वैदिक विद्यालय, वार्ड 5 गुरु रामदास स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 6 मार्निंग स्टार स्कूल इंदिरा नगर, वार्ड 7 अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, वार्ड 8 संतनामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 9 साँई ऐकेडमी स्कूल 80 फीट रोड, वार्ड 10 सिंधी गुरुद्वारा मोहन नगर, वार्ड 11 बोधी स्कूल डोंगरे नगर, वार्ड 12 सुमंगल गार्डन कस्तुरबा नगर, वार्ड 13 अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल जवाहर नगर, वार्ड 14 सरस्वती स्कूल काटजू नगर, वार्ड 15 मांगलिक भवन सुभाष नगर, वार्ड 16 काश्यप सभागृह सागोद रोड, वार्ड 17 उत्कृष्ट स्कूल सागोद रोड, वार्ड 18 शांति निकेतन टाटा नगर, वार्ड 19 राधाकृष्ण प्राथमिक विद्यालय दीनदयाल नगर, वार्ड 20 सरस्वती स्कूल अमृत सागर, वार्ड 21 नरसिंह वाटिका सिलावटो का वास, वार्ड 22 मानस भवन मोती नगर, वार्ड 23 ज्योति कान्चेंट स्कूल बाजाली नगर, वार्ड 24 सब्जी फिरोस जमातखाना सायर चबुतरा, वार्ड 25 सगरवंशी माली समाज धर्मशाला, वार्ड 26 संतमीरा स्कूल थावरिया बाजार, वार्ड 27 जमातखाना शैरानीपुरा, वार्ड 28 मांगलिक भवन दिलीप नगर, वार्ड 29 डीआरपी लाईन आनन्द कालोनी, वार्ड 30 काजीखान की मस्जिद जावरा रोड, वार्ड 31 शासकीय प्राथमिक स्कूल डोसीगांव, वार्ड 32 उजाला पैलेस स्टेशन रोड, वार्ड 33 लायंस हॉल पावर हाउस रोड, वार्ड 34 रोटरी हॉल अजंता टॉकिज रोड, वार्ड 35 मेहदीकुई बालाजी नगर निगम, वार्ड 36 कान्चेंट स्कूल मित्र निवास रोड, वार्ड 37 लॉ कॉलेज आनन्द कालोनी, वार्ड 38 जमातखाना शैरानीपुरा, वार्ड 39 शासकीय प्राथमिक स्कूल शैरानीपुरा, वार्ड 40 श्रीमाली धर्मशाला, वार्ड 41 मोहन टॉकिज, वार्ड 42 माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजार, वार्ड 43 गणेश मांगलिक भवन रामबाग, वार्ड 44 बोहरा कम्युनिटी हॉल बोहरा बाखल, वार्ड 45 शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल माणक चौक, वार्ड 46 आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर, वार्ड 47 मदरसा तालीमुल कुरआन नयापुरा हाट रोड, वार्ड 48 सूरजहॉल वेदव्यास कालोनी, वार्ड 49 सिखवाल धर्मशाला ब्राम्हणों का वास तथा नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

## नगर निगम द्वारा अब तक 7564 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

निगम के आईटी सेल में हितग्राही बनवायें आयुष्मान कार्ड

रतलाम 15 नवम्बर। आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में

कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे हैं जिसके तहत 1 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक 192 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना के तहत नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नगर निगम के विकास शाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे हैं। नगर निगम विकास शाखा स्थित आईटी सेल में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 41 दिनों में 192 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके हैं। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों व उचित मूल्य की दुकानों पर 7316 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7564 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर के शेष रहे हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

## **2105 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 30 हितग्राही हुए लाभान्वित**

**पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें**

रतलाम 15 नवम्बर। नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूँजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धि विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के ज्ञान कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु 2025 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूँजी हेतु 80 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 40 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

## **अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रुपये पति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल**

रतलाम 15 नवम्बर। शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलों के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलों को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

## डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रत्नाम 15 नवम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक ज्ञान में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक ज्ञान में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रुट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

## नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रत्नाम 15 नवम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रत्नाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

## गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विलक्ष्य होगी कार्यवाही

रत्नाम 15 नवम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा स बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने

वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

**वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विलङ्घ होगी कार्यवाही**

रतलाम 15 नवम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर—1 बनाने हेतु नगर निगम दूढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले—नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले—नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ—सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ—सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 15.11.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.